संख्या-15/45/2000-का-4-2004

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ: दिनांक: फरवरी 20 ,2004

विषय:- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग हेतु चयनित/ संस्तुत अभ्यर्थियों के संबंध में ।

महोदय,

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न विभागों के पर्वतीय उपसंवर्ग हेतु चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-3032-3040/2002 ।सिविल अपील संख्या-4281-4289/2003 ।उत्तरांचल राज्य प्रति सिद्धार्थ श्रीवास्तव तथा अन्य तथा सम्बद्ध अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में दिनांक 5-6-2003 को पारित निर्णय के संदर्भ में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

।1। विभिन्न विभागों के, विभिन्न पदों पर पर्वतीय उपसंवर्ग हेतु चयनित अभ्यर्थियो को उत्तर प्रदेश राज्य में नियुक्ति प्रदान न की जाय ।

।2। पर्वतीय उपसंवर्ग हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किये जाने वाले चयनों में आगामी 03 वर्षों तक अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाय ।

।3। ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन पर्वतीय उपसंवर्ग के लिए नहीं हुआ है, परन्तु जिनके आवेदन प्रपत्रादि कार्यभार ग्रहण कराने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य को प्रेषित किये जाने पर, उत्तरांचल राज्य द्वारा जिन्हें नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है, के संबंध में प्रत्येक प्रकरण का पृथक-पृथक परीक्षण कर, निर्णय लिया जाय ।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

। प्रदीप शुक्ला ।
सचिव ।

संख्या-15/45/2000।।-का-4-2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

आज्ञा से,

। भुइयाँदीन ।
विशेष सचिव ।